न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 141/2019

1. श्रवण
2. राजेन्द्र पुत्रान शंकरलाल
3. जमनादेवी पत्नी शंकरलाल
4. मनमोहन पुत्र शंकरलाल
5. रामस्वरूप
6. विनोद पुत्रान जोखाराम
7. प्रभातीदेवी पत्नी मूलाराम
8. जगदीश पुत्र मूलाराम
9. किताबदेवी पत्नी रामवतार
10. दिनेश पुत्र रामवतार नाबालिग जरिये माता किताब देवी
11. परमेश्वरी देवी पत्नी सुवालाल
12. महेश
13. मनोज
14. माणकचन्द पुत्रान सुवालाल समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तह0 नवलगढ

–वादीगण

बनाम

1. मूलसिंह
2. लालसिंह
3. सुरेशसिंह पुत्रान मदनसिंह
4. लाडकंवर पत्नी मदनसिंह समस्त जाति राजपूत निवारसीगण ग्राम भरवाडी तह0 नवलगढ
5. रवीना पुत्र श्रीराम डूडी जाति जाट निवासी डूडियों की ढाणी तन परसरामपुरा तह0नवलगढ
6. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादीगण – श्री किशोर कुमार जांगिड
वकील प्रति0 नं. 5– श्री लोकेश कुमार

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.11.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंक छिलरी की सरहद में भूमि ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 स्थित है। उकत भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण के पूर्वज गोविन्दा पुत्र बागा जाति मीणा की खातेदारी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 की खातेदारी का रहा है। वादीगण के पूर्वज गोविन्दा की काफी सालों पूर्व मृत्यु हो गई परन्तु खातेदारी उन्ही के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी नं. 1 ल0 4 के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण नं. 5 ने क्रय किया था तथा प्रतिवादी नं. 5 से उपरोक्त 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये रजि0 विक्रय पत्र वादी नं. 1 ने क्रय कर लिया इसलिये उपरोक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में 1/2 हिस्सा वादी नं. 1 का है इसके अलावा 1/8 हिस्सा वादी नं. 1 ल0 4 का, 1/8 हिस्सा वादी नं. 5 व 6 का, 1/8 हिस्सा वादी नं. 7 ल0 10 का व 1/8 हिस्सा 11 ल0 14 का है। इस बाबत घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड वर्तमान में वादीगण के पूर्वज गोविन्दा पुत्र बागा कौम मीणा व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादीगण स्व0 गोविन्दा के उतराधिकारी हैं । इसलिये उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी नं. 1 का 17/32 हिस्सा, वादी नं. 2 ल0 4 प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा, है, वादी नं. 5 व 6 प्रत्येक का 1/16, 1/16 हिस्सा है, वादी नं. 7 व 8 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा है। वादी नं. 9 व 10 का शामलाती 1/24 हिस्सा व वादी नं. 11 से 14 प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा है। इसी अनुसार हक हिस्से व अधिकार है। इसी अनुसार हिस्सों की घोषणा किये जाने हेतु उक्त वाद पेश है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम भरवाडी में स्थित आराजी ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 में वादी नं. 1 को 17/32, वादी नं. 2 ल0 4 प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा, है, वादी नं. 5 व 6 प्रत्येक का 1/16, 1/16 हिस्सा है, वादी नं. 7 व 8 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा है। वादी नं. 9 व 10 का शामलाती 1/24 हिस्सा व वादी नं. 11 से 14 प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 1 ल0 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी नं. 5 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत नही करने पर जबाबदावा बंद किया गया। अतः शहादत वादीगण ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबंदी ग्राम भरवाडी संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 की खातेदारी अमानसिंह पुत्र धोकलसिंह कौम राजपूत सा.देह गोविन्दा पुत्र बागा कौम चौकीदार मीणा सा. परसरामपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 750 नि.दि. 23.10.17 के अनुसार विरासत अमनसिंह फौत के स्थान पर मूलसिंह पुत्र लालसिंह सुरेशसिंह पि0 मदनसिंह लाडकंवर पत्नी मदनसिंह के नाम स्वीकार दर्ज रिकार्ड है।

इस संबंध में प्रस्तुत रजि0 विक्रय पत्र 21.01.2019 के अनुसार मूलसिंह लालसिंह सुरेश सिंह पुत्रान मदनसिंह लाडकंवर पत्नी स्व0 मदनसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भरवाडी तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नदबगढ़

Scanned by CamScanner

नवलगढ द्वारा ग्राम भरवाडी की भूमि ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 में 1/2 हिस्सा की खातेदारी रविना पुत्री श्रीराम डूडी जाति जाट निवासी डूडियों की ढाणी तन परसरामपुरा को कार्यालय उप पजियक नवलगढ के यहां जरिये रजि0 विक्रय पत्र विक्रय की गई जिसका विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया।

उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय भूमि को रविना पुत्री श्रीराम डूडी द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र ग्राम भरवाडी की भूमि ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 में 1/2 हिस्सा को श्रवणकुमार पुत्र शंकरलाल मीना जाति मीना निवासी परसरामपुरा को कार्यालय उप पंजियक नवलगढ में जरिये रजि0 विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया।

उक्त राजस्व रिकार्ड व विक्रय पत्र के अवलोकन से प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 ने वादग्रस्त आराजी के अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 5 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र विक्रय किया गया तथा प्रतिवादी नं. 5 ने अपना क्रय शुदा भूमि वादी नं. 1 को विक्रय किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त वाद में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 व 5 का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नही रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की शामलाती भूमि है। अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम भरवाडी की भूमि ख.न. 68 रकबा 1.32 है0 में 1/2 हिस्से का वादी नं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश 1/2 हिस्सा का श्रवण पुत्र शंकरलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। गोविन्दा पुत्र बागा कौम चौकीदार मीना के शेष 1/2 हिस्सा के वारिसान की जांच कर जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.29 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: